न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 27/2010 **(75 एल.आर.एक्ट)**

उनवान

1. बलबीर पुत्र श्री रामदयाल जाति जाट निवासी ग्राम अरूर्वा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. मोटी बेवा छोटेलाल,
2. शिब्बन पुत्र छोटेलाल,
3. कलुआ पुत्र छोटेलाल,
4. बाबूलाल पुत्र छोटेलाल,
5. सीमा पुत्री छोटेलाल जाति समस्त भंगी निवासीयान ग्राम अरूर्वा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
6. अतरसिंह पुत्र भजनलाल जाति खटीक निवासी ग्राम जनूथर तहसील डीग जिला भरतपुर राज0 ।
7. भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष, उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–

1. श्री मूलचन्द चौधरी अभिभाषक अपीलांट ।
2. रेस्पो0 सं0 1 ल0 6 बाजजूद सूचना उपस्थित नहीं आये ।

::: निर्णय :::

दिनांक :– 29.06.2018

यह अपील विद्वान अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दि0 02.08.2010 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट ने यह प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू–आवंटन नियम, 1970 आज्ञा भू–आवंटन सलाहकार समिति लक्ष्मणगढ़ दिनांक 04.10.1975 व 30.10.1975 जिसके द्वारा आराजी ख0 नं0 226 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम अरूर्वा तहसील कठूमर का आवंटन अप्रार्थी सं0 1 के पति व 2 ल0 5 के पिता छोटेलाल को किया गया है कि प्रस्तुत की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों

 28.6.18

के अभिभाषकगण की बहस सुनकर दि0 02.08.2010 को अपीलांट की अपील खारिज कर दी जिस निर्णय दि0 02.08.2010 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया लेकिन रेस्पो0 सं0 1 ल0 6 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये । तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस की शुरूआत करते हुए कहा कि ख0 नं0 हाल 226 साबिक ख0 नं0 162, 177, 180, 200 व 207 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा से बना है जो साबिक नम्बर सैटलमेन्ट से पूर्व गैर मुमकिन नला एवं गै0मु0 रास्ता था । सैटलमेन्ट के बाद भी ख0 नं0 226 गै0मु0 रास्ता दर्ज है जो सरकारी ग्राम के आम रास्ता की भूमि है एवं वर्षा के दिनों में ख0 नं0 226 गै0मु0 नला जिसमें बाहर से पानी आकर ग्राम की पोखर में मिल जाता है । इसी खसरा नम्बर में आम रास्ता है जो आवंटन के समय राजस्व रेकार्ड में आम रास्ता दर्ज है । कानूनन गैर मुमकिन रास्तों को आवंटन नहीं किया जा सकता है तथा जो भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 4 का उल्लंधन है ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि उक्त आराजी सार्वजनिक उपयोग की भूमि है । भू–आवंटन कमेटी द्वारा नियम विरूद्ध आवंटन किया गया है जो निरस्तनीय है । आवंटन कमेटी द्वारा भू–आवंटन नियमों की विधिवत् प्रक्रिया नहीं अपनायी है जबकि कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 7 के तहत आवंटन योग्य भूमि की अधिसूचना आवंटन के दिन से 15 दिन पूर्व जारी की जाती है तथा पंचायत व तहसील में चस्पा की जाती है । ख0 नं0 226 व 126, 102 के संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई । आवंटी को कभी भी आराजी ख0 नं0 226 पर कब्जा नहीं दिया न ही कभी आज तक उक्त आराजी पर काश्त हुई है। अलॉटी छोटेलाल व उसके वारिस हमेशा से पंजाब रहते हैं कभी गांव अरूर्वा में नहीं रहे । जब ग्राम में ही नहीं रहे तो काश्त का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना कभी अलॉटी को दखल दिया गया । अप्रार्थी सं0 1 के पति व 2 व 5 के पिता को ख0 नं0 226 का न तो दखल दिया गया न कभी काश्त की गई । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं0 6 अतरसिंह को किया गया बयनामा दिनांक 7.6.2000 गैर कानूनी है क्योंकि आवंटन ही नियमों के विरूद्ध हुआ है ऐसी आवंटित भूमि का बयनामा भी गैर कानूनी है एवं केता को ऐसी भूमि में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तथा अप्रार्थी अतरसिंह का भी ख0 नं0 226 में कभी कब्जा काश्त नहीं रही है ।

इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया । अपील के तथ्यों का अवलोकन किया । अपीलांट ने अपील में मुख्य बिन्दु यह उठाया है कि क्या रेस्पो0 को विवादित आराजी का नियमानुसार आवंटन हुआ है तथा उन्हें नियमों के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं और क्या आराजी का बेचान तृतीय पक्ष को किया जा चुका है, वह सही है ? अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों अभिभाषकगण की बहस सुनकर युक्तियुक्त आदेश पारित नहीं किया है जिसके आधार पर अंपील स्वीकार करने की इस्तदुआ की है ।

हमने आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किये गये आवंटन आदेश का अवलोकन किया जिसके अनुसार ख0 नं0 226 का आवंटन किया गया है तथा उसका दखलनामा भी है और नामान्तकरण भी दर्ज है तथा रेस्पो0 को उक्त खसरा नम्बर पर खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं जिसके आधार पर उक्त आराजी का बयनामा भी तृतीय पक्ष को किया जा चुका है ।

तहत अदालत ने आवंटन रेकार्ड का अवलोकन करके तथा अपीलांट को सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है और अपील अपीलाट काबिल खारिजी के है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर का निर्णय दि0 02.08.2010 यथावत रखा जाता है । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29.6.18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर